राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS)
2, जल पथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांकः 3735-4072 जयपुर, **दिनांकः** 08.01.2021

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
समस्त।

विषयः विश्वव्यापी संक्रामक महामारी कोरोना (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये जाने वाले टीकाकरण अभियान (CoWin) में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत कार्यरत मानदेयकर्मियों के टीकाकरण संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वव्यापी संक्रामक महामारी कोरोना (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये जाने वाले टीकाकरण अभियान (CoWin) में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं व सहायिकाओं तथा आशा सहयोगिनियों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में प्रथमतः टीकाकरण हेतु सम्मिलित किया जाना है। इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार समन्वय रखते हुए समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। जहां टीकाकरण के लिए निर्धारित पोर्टल पर अभी भी इन कार्मिकों का डाटा अपलोड नहीं हो पाया है, वहां शीघ्र अपलोड करने का कार्य करें और जहां अपलोड हो चुका है, वहां भी डाटा का सत्यापन कर लें, ताकि कोई त्रुटि शेष न रह जाये।

इसके अतिरिक्त टीकाकरण के प्रचार–प्रसार में भी मानदेयकर्मियों की निर्धारित भूमिका को जिला कलक्टर एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करें।

निदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः 4072-76 जयपुर, **दिनांकः** 08.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर ।
2. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय ।
3. एनालिस्ट कम प्रोगामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. रक्षित पत्रावली ।

8/1/21

अतिरिक्त निदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर